वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) और (ख) कर निर्धारण अधिकारी, इंदौर द्वारा स्टेट बैंक आफ इंदौर के कर्मचारियों में से एक कर्मचारी के आयकर निर्धारणों में कुछ परिवर्द्धन किए गए थे । उक्त कर निर्धारण अधिकारी द्वारा किया गया कर निर्धारण कर निर्धारिती द्वारा दायर की गई अपील में विवादग्रस्त था और प्रथम अपील में उसने नीचे निर्दिष्ट किए गए के अनुसार राहत प्राप्त की थी । आगे और दायर की गई अपीलें अब आयकर अपीली न्यायाधिकरण के समक्ष विचाराधीन पड़ी हुई हैं । आय-गोपन के लिए धारा 271(1)(सी) के अन्तर्गत जुर्माना लगाने की कार्यवाहियां शुरू की गई हैं ।

कर निर्धारिती द्वारा प्राप्त की गई राहत के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं :—

कर निर्धारण वर्ष	विवरणीगत आय (रु.)	धारा 143(3) के अन्तर्गत कर निर्धारित आय (रु.)	टिप्पणीयां/प्रथम अपील का स्तर (रु.)
(1)	(2)	(3)	(4)
1987–88	19.030/	1,28,030	(i) 20,500 रु० का परिवर्द्धन निरस्त कर दिया गया । (ii) 32,500रु० के परिवर्द्धन को आयकर आयुक्त ((अपील) द्वारा संपुष्टि की गई । (iii) 33,456रु० के परिवर्द्धन को आयकर आयुक्त (अपील) द्वारा समाप्त कर दिया गया ।
1988–89	21,340/-	1,41,990/-	(i) 61,500रु० के परिवर्द्धन को आयकर आयक्त (अपील) द्वारा समाप्त कर दिया गया । (ij) शेष परिवर्द्धनों को संपुष्टि कर कर दी गई है ।
1989–90	23,650/-	82,850/-	उप आयकर आयुक्त (अपील) द्वारा समूचे परिवद्धन को समाप्त कर दिय गया है ।

(ग) और (घ) जी, नहीं । कर निर्धारण अधिकारी द्वारा किए गए परिवर्द्धन आयकर अपीली न्यायाधिकरण के सामक्ष अभी तक अपील की विषय वस्तु बने हुए हैं ।

Filling up the Vacancies reserved for SC|ST Candidates in GIC

944. SHRI PRAKASH YASHWANT AMBEDKAR: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether, the vacancies reserved for Scheduled Castes and Scheduled Tribes in classes I, II, and III in General Insurance Corporation and its subsidiaries are filled?

(b) if not, what steps are being taken to fill these vacancies; and

(c) whether any time bound programme will be set for filling-up the reserved vacancies?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (DR. ABRAR AHMED): (a) to (c) General Insurance Corporation of India (GIC) have reported that in the GIC and its four subsidiary companies, a backlog of 133 officers belonging to Scheduled Caste category and 328 officers belonging to

Scheduled Tribe Category exists as on 31.12.1992 for want of suitably qualified Class I, II and III officers and also on account of a Court stay order against the recruitment of Class-II officers. These companies are making efforts to get the stay vacated and initiate an exclusive recruitment drive for clearing the backog expeditiously.

Jobs in GIC

945. SHRI PRAKASH YASHWANT AMBEDKAR: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether any scheme was initiated by the General Insurance Corporation and its subsidiaries to absorb candidates from schools who have completed 10 plus 2 in the year 1990-91, 1991-92 and 1992-93;

(b) whether they are going to be made permanent;

(c) whether under the scheme, reservation for scheduled castes and scheduled tribes were kept; and

(d) if not, what are the reasons therefor?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (DR. ABRAR AHMED): (a) A two year job linked Vocational Course in General Insurance was introduced by the Central Board of Secondary Education (CBSE) and the General Insurance Corporation (GIC) in the year 1988 on a pilot basis, in a few schools, in selected cities. This scheme covers the candidates qualified in the years 1990-91 to 1992-93 also.

(b) The GIC have reported that they are going to be made permanent.

(c) Schools have been requested to keep 9 seats in a class of 40 reserved for scheduled caste/scheduled tribe candidates.

(d) Does not arise.

आयकर लगाने हेतु आयकर की सीमा बढ़ाया जाना

946. **डा. नौनिहाल सिंह** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार आयकर लगाने हेतु आयकर की सीमा को बढ़ाने का विचार कर रही है :

(ख) यदि हां, तो सरकार इस दिशा में कब तक अन्तिम निर्णय ले लेगी ; और

(ग) मूल्यों में लगातार वृद्धि को ध्यान से रखते हुए सरकारी कर्मचारियों को राहत पहुंचाने के उद्देश्य से सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) से (ग) वित्त अधिनियम 1993 द्वारा आयकर अधिनियम के अन्तर्गत छूट की सीमा को 28000रु से से बढ़ाकर 30,000 रु. तक कर दिया गया है और वेतन-आय के संबंध में मानक कटौती की अधिकतम सीमा को 12,000 रु. से बढाकर 15,000 रु. तक कर दिया गया है । आयकर छूट की सीमा की राशि से संबंधित मुद्दे पर बजट -पूर्व कार्यवाही के दौरान विचार किया जाता है उसके निर्णय पर वार्षिक वित विधेयक में विचार किया जाता है ।

Realisation of tax from East-West Airlines

947. SHRI ANANT RAM JAISWAL:

SHRI MOHINDER SINGH LATHER:

Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the East-West Airlines operating in the country are in huge arrears of Travel Tax running into crores of rupees;